

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान

26/1, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001

परिपत्र - Circular - 44

संख्या: क्षे.प्र.सं./नागपुर/प्रतिनियुक्ति/2024-25/230

दिनांक: 11-09-2023

इस संस्थान के परिपत्र क्र. 37 दिनांक 21.08.2024 में आंशिक बदलाव के तहत यह सूचित किया जाता है की, इस संस्थान में उपरोक्त परिपत्र में दर्शायी रिक्तियों के अलावा निम्नलिखित रिक्त पद प्रतिनियुक्ति पर भरी जानी हैं।

In partial modification of this institute's circular No. 37 dated 21.08.2024, it is stated that there is following vacancy to be filled on deputation basis apart from the vacancies already detailed in the above mentioned circular.

प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: -

| Designation | No. of Posts | Work | Work Experience |
|----------------------|--------------|----------------|--|
| Assistant Supervisor | 01 | Administration | Holding Assistant Supervisor post on regular basis in the parent office. Preference will be given to the candidates having experience in administration, training, e-office, PFMS, iBEMS and General Department. Having good knowledge of computers or previous experience in any RCBKIs/RCBKCs. |

आवश्यकता को परिचालित कर के इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम अधिकतम 30/09/2024 तक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजे जा सकते हैं।

The requirement may kindly be circulated and names of interested officers and staff may be forwarded along with following documents latest by 30th September 2024.

1. आवेदकों का विवरण (बायो-डेटा) ।
2. सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र: यह प्रमाणित किया जाए कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/न्यायालयीन / सतर्कता का मामला न तो लंबित है न उस पर कोई विचार किया गया है।
3. पिछले 05 वर्षों के लिए एसीआर / एपीएआर डोजियर की प्रमाणित प्रतियां।
4. इस अधिसूचना की तिथि तक 56 वर्ष से कम आयु के अधिकारी/कर्मचारी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

1. Particulars of the applicants (Biodata).
2. Vigilance clearance certificate: It may be got certified that no disciplinary/court/vigilance case is either pending or contemplated against applicant.
3. Certified copies of ACRs/APARs dossiers for the last 05 years.
4. Officials below the age of 56 as on the date of this Notification alone are eligible to apply.

(प्राधिकार: महानिदेशक महोदय के आदेश दिनांक : 11 .09.2024)

शिव शिव मास
11-09-24
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन